

प्रीलिमिंस फ़ैक्ट्स: 18 Nov, 2017

सौभाग्य वेब पोर्टल

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना के तहत 'सौभाग्य' वेब पोर्टल लॉन्च किया है।

- सौभाग्य-डैश बोर्ड घरेलू वदियुतीकरण प्रगति की नगिरानी हेतु नरिमति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो घरेलू बजिलीकरण की स्थिति (राज्य, ज़िला, गाँवों के क्रम में), लाइव आधार पर प्रगति, राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि तथा वदियुतीकरण की मासिक प्रगति के बारे में सूचनाओं का प्रसार करेगा।
- हालाँकि, 4 करोड़ घरों का वदियुतीकरण करना स्वयं में एक बहुत बड़ी चुनौती है, फरि भी सरकार द्वारा सभी राज्यों के सहयोग से दसिम्बर 2018 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया गया है।
- सरकार द्वारा वदियुत पारस्थितिकी प्रणाली में परिवर्तन करते हुए प्रीपेड तथा स्मार्ट मीटरों के माध्यम से सभी नए बजिली कनेक्शनों के लिये मीटर की व्यवस्था को अनविर्य बनाया गया है।
- इसका लाभ यह होगा कि इससे गरीब लोगों के लिये न केवल बजिली का बलि भरना आसान होगा, बल्कि बजिली चोरी में भी कमी आएगी, जिससे बजिली बलि भुगतान परपालन में वृद्धि होगी।
- इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिये सभी राज्य वदियुतीकरण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इससे राज्य बजिली कंपनी/डसिक्ॉम के लिये उत्तरदायी प्रणाली के रूप में स्थापति हो जाएंगे।
- बजिली वतिरण कंपनियों के साथ-साथ राज्य बजिली वभिाग भी इस वेब पोर्टल/मोबाइल एप के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में डाटा एकत्रीकरण कर सकेंगे।

जैव-अवशेषों का इस्तेमाल

- मंत्रालय ने एन.टी.पी.सी. को ताप वदियुत संयंत्रों में बजिली उत्पादन के लिये कोयले के साथ-साथ 10 प्रतिशत तक फसलों के अवशेष को मलाने का निर्देश जारी किया है। इससे न केवल पंजाब, हरयाणा जैसे राज्यों द्वारा खरपतवार और पराली जलाने में कमी आएगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी होगी।
- इसका एक अन्य लाभ यह होगा कि इससे किसानों को प्रतिटिन फसल अवशेष के लिये 5,500 रुपए का भुगतान प्राप्त होगा। फसल अवशेष को किस प्रकार से एकत्रित किया जाना है, इसके लिये अवसंरचना तैयार की जा रही है।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दसिंबर 2018 तक देश के ग्रामीण और शहरी कषेत्रों में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को बजिली कनेक्शन प्रदान करने के लिये 16,320 करोड़ रुपए की एक नई योजना प्रधानमंत्री सहज बजिली हर घर योजना 'सौभाग्य' (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana 'Saubhagya) का शुभारंभ किया गया।

- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दसिंबर 2018 तक (मार्च 2019 तक इस उद्देश्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है) सभी परिवारों को बजिली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- 1 मई, 2018 की निर्धारित समय सीमा से पहले दसिंबर 2017 तक सभी गाँवों का वदियुतीकरण किया जाएगा।
- इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में बजिली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

पोर्टेबल डाइव डिटिशन सोनार

केंद्र सरकार की "मेक इन इंडिया" नीति के तहत नौसेना ने टाटा पावर स्ट्रैजिक इंजीनियरिंग डिविजन के साथ खरीदो और निर्माण (भारतीय) श्रेणी [Buy and Make (Indian) category] के तहत सचल गोताखोर खोजबीन सोनार (Portable Diver Detection Sonar) हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- रक्षा कषेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के संबंध में किया गया नौसेना का यह दूसरा समझौता है। इससे पहले भारतीय नौसेना ने युद्धपोत में नगिरानी रडार के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- पोर्टेबल डाइव डिटिशन सोनार के नौसेना में शामिल होने से समुद्री अभियान के दौरान नगिरानी क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन सोनार की खरीद से नौसेना को युद्धपोतों को खतरों से बचाने में भी सफलता मिलेगी।

डाइवर डिटेंशन सोनार (Diver Detection Sonar - DDS) क्या है?

- डी.डी.एस. गोताखोरों और जलमग्न तैराक वतिरण वाहनों (swimmer delivery vehicles) के बारे में पता लगाने के लिये पानी के नीचे कार्यरत सोनार एक ध्वनिकि स्थान प्रणाली (acoustic location system) है।
- इस प्रकार की सोनार प्रणाली का उद्देश्य पानी के नीचे मौजूद खतरों (ऐसे खतरों जिनसे जान-माल को खतरा हो सकता है) की पहचान करने के साथ-साथ ट्रैकिंग और वरगीकरण की जानकारी प्रदान करना है।
- समुद्र के अंदर आतंकवादी हमले का खतरा समुद्री उद्योग और बंदरगाह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एक चिंता का विषय है। अक्सर बंदरगाहों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, तैराकों द्वारा हमला, नावों द्वारा पानी के भीतर वभिन्न प्रकार के वसिफोटक उपकरणों के वतिरण इत्यादि से उत्पन्न होने वाले खतरें।
- वस्तुतः डी.डी.एस. ससिस्टम को बंदरगाहों, तटीय सुविधाओं, अपतटीय प्रतष्ठानों, पाइपलाइनों और जहाजों के लिये पानी के नीचे सुरक्षा प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।

तपेदकि (टीबी) के इलाज के लिये दवा की दैनिकि खुराक व्यवस्था लागू

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय टीबी नयितरण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) के अन्तर्गत देश भर में तपेदकि रोग पीड़ितों के लिये दवा की दैनिकि खुराक व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।

- मंत्रालय द्वारा तपेदकि बीमारी के इलाज के लिये मशिरति दवाओं की तय खुराक का इस्तेमाल करते हुए सप्ताह में तीन बार के स्थान पर दैनिकि खुराक की व्यवस्था की गई है। इस परिवर्तन से तपेदकि बीमारी से लड़ने के दृष्टिकोण में बदलाव आया।
- तपेदकि रोधी दैनिकि मशिरति दवा को नज्जी फार्मेसी और प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले डाक्टरों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि इन दवाओं की खुराक को उन रोगियों तक पहुँचाया जा सके जो नज्जी क्षेत्र में इलाज करा रहे हैं।
- स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी के सभी मरीजों तक मशिरति दवाओं की तय खुराक को दैनिकि रूप से उपलब्ध कराने के लिये सभी बड़े अस्पतालों, आई.एम.ए., आई.ए.पी. तथा पेशेवर चिकित्सा संगठनों तक इसका वसितार किया जाएगा।

इलाज के तरीके में बदलाव का लाभ क्या होगा?

- इस पद्धतकी वशिषता यह है कि इसके अंतर्गत सभी रोगियों को नरितर चरणों में इथेन ब्यूटॉल की मशिरति गोलयिँ दी जाएगी। ये दवायें पहले सप्ताह में तीन बार दी जाती थीं। मशिरति दवाओं की तय खुराक से मरीजों को कम गोलयिँ खानी पड़ेगी, पहले उन्हें सात अलग-अलग टैबलेट खाने पड़ते थे। बचचों के लिये घुलनशील टैबलेट होंगे।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विकि टीबी रपिोर्ट, 2017 में कहा गया है कि टीबी ग्रसति लोगों की संख्या 28.2 लाख से घटकर 27 लाख हो गई है और पछिले एक वर्ष में मृत्यु में 60 हज़ार की कमी आई है।